

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १, अंक ४५]

गुरुवार, ऑक्टोबर २९, २०१५/कार्तिक ७, शके १९३७

पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ७६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५

क्रमांक जीवका. १५११/४४९/प्र.क्र. ४७/नापु-२३.—भारत सरकार, ग्राहक बाबी, अत्र व सार्वजिनक वितरण मंत्रालय, ग्राहक बाबी विभाग, नवी दिल्ली यांच्याकडून असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-३, उप खंड (ii) मध्ये दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनर्प्रकाशित करण्यात येत आहे :—

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

आदेश

का.आ. 2642 (अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं. स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन)
हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 है।

- (2) यह 19 अक्तूबर, 2015 से प्रवृत्त होगा।
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश 2002 के खण्ड 7 के उप-खंड (1), की मद संख्या (i) में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "(i) दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिहलनों के संबंध में 30 सितम्बर, 2016 तक की अविध के लिएः परन्तु इस खंड की कोई भा बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :—
 - (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातर-निर्यातक कोड धारक निर्यातकों के दालों, खाद्य तिलहानों, खाद्य तेलों के निर्यात के लिए तात्पर्यित स्टॉक को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर;
 - (ख) अनुज्ञप्तिधारक खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा खाद्य उत्पादों के विनिर्मान के लिए कच्चे माल के रूप में रखे गए आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर:
 - (ग) खुदरा व्यापारियों (मल्टीपल आउटलेट) और बडे डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारियों को आवस्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं पर।"

फा.सं. 10 मार्च 2015 ईसीआरएंडई

जी. गुरूचरण, विशेष सचिव।

टिप्पणी.—मूल आदेश भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उप खंड (ii) में सा.का.नि. संख्यांक 104 (अ), तारीख 15 फरवरी 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 490 (अ), तारीख 16 जून 2003; का.आ. 1973 (अ), तारीख 29 अगस्त 2006; का.आ. 297 (अ), तारीख 27 फरवरी 2007; का.आ. 1488 (अ), तारीख 31 अगस्त 2007; का.आ. 400 (अ), तारीख 28 फरवरी 2008; का.आ. 823 (अ), तारीख 7 अप्रैल 2008; का.आ. 2117 (अ), तारीख 27 अगस्त 2008; का.आ. 2118 (अ), तारीख 27 अगस्त 2008; का.आ. 2247 (अ), तारीख 22 सितम्बर 2008; का.आ. 2248 (अ), तारीख 22 सितम्बर 2008; का.आ. 2249 (अ), तारीख 22 सितम्बर 2008; का.आ. 649 (अ), तारीख 9 मार्च 2009; का.आ. 880 (अ), तारीख 30 मार्च 2009; का.आ. 905 (अ), तारीख 2 अप्रैल 2009; का.आ. 906 (अ), तारीख 2 अप्रैल 2009; का.आ. 1621 (अ), तारीख 2 जुलाई 2009; का.आ. 2461 (अ), तारीख 25 सितम्बर 2009; का.आ. 3249 (अ), तारीख 18 दिसम्बर 2009; का.आ. 2361 (अ), तारीख 29 सितम्बर 2010; का.आ. 3060 (अ), तारीख 30 दिसम्बर 2010; का.आ. 654 (अ), तारीख 30 मार्च 2011; का.आ. 2227 (अ), तारीख 27 सितम्बर 2011; का.आ. 2447 (अ), तारीख 28 अक्तूबर 2011; का.आ. 2716 (अ), तारीख 29 नवम्बर 2011; का.आ. 2320 (अ), तारीख 27 सितम्बर 2012; का.आ. 2968 (अ), तारीख 20 दिसम्बर 2012; और का.आ. 2927 (अ), तारीख 27 सितम्बर 2013; का.आ. 3543 (अ), तारीख 29 नवम्बर 2013; का.आ. 77 (अ), तारीख 9 जनवरी 2014; का.आ. 1685 (अ), तारीख 3 जुलई 2014; का.आ. 2559 (अ), तारीख 30 सितम्बर 2014 और का.आ. 1797 (अ), तारीख 2 जुलई 2015; द्वारा संशाधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 28th September 2015

Order

- S. O. 2642(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:—
- 1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2015.
 - (2) It shall come into force with effect from the 19th day of October, 2015.
- 2. In the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, in clause 7, in sub-clause (1), for item (i), the following shall be substituted, namely:—
 - "(i) pulses, edible oils and edible oilseeds for a period upto the 30th September 2016: Provided that nothing contained in this item shall apply to—
 - (a) exporters having Import Export Code issued by the Directorate General of Foreign Trade from the purview of stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955 with respect to pulses, edible oilseeds, edible oils for the stock meant for export;
 - (b) stock essential commodities meant to be used as raw materials by licensed food processed food processors for manufacture of good products, from the purview of stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955;
 - (c) Retailers (Multiple Outlets) and Large Departmental Retailers from stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955."

[F. No. 10th March 2015-ECR & E]

G. GURUCHARAN,

Spl. Secy.

Note.—The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 104(E), dated the 15th February 2002 and subsequently amended by numbers G.S.R. 490(E), dated the 16th June 2003, S.O. No. 1373(E), dated the 29th August 2006, S.O. 297(E), dated the 27th February 2007 and S.O. No. 1488(E), dated the 31st August 2007, S.O. No. 400(E), dated the 28th February 2008, S.O. No. 823(E), dated the 7th April 2008, S.O. No. 2117(E), dated the 27th August, 2008, S.O. No. 2118(E), dated the 27th August 2008, S.O. No. 2247(E), dated the 22nd September 2008, S.O. No. 2248(E), dated the 22nd September 2008, S.O. No. 2248(E), dated the 9th March 2009, S.O. 880(E), dated the 30th March 2009, S.O. No. 905(E), dated the 2nd April 2009, S.O. No. 906(E), dated the 2nd April 2009, S.O. No. 2461(E), dated the 25th September 2009, S.O. No. 3249(E), dated the 18th December 2009, S.O. No. 2361(E), dated the 29th September 2010, S.O. 3060(E), dated the 30th December 2010, S.O. No. 654(E), dated the 30th March 2011, S.O. 2227(E), dated the 27th September 2011,

γ

S.O. No. 2447(E), dated the 28th October 2011, S.O. 2716(E), dated the 29th November 2011, S.O. No. 2320(E), dated the 27th September 2012, S.O. 2968(E), dated the 20th December 2012 and S.O. No. 2927(E), dated the 27th September 2013, S.O. No. 3543(E), dated the 29th November 2013, S.O. No. 77(E), dated the 9th January 2014, and S.O. No. 1685(E), dated the 3rd July 2014, S.O. 2559(E), dated the 30th September 2014 and S.O. No. 1797(E), dated the 2nd July 2015.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

स. श्री. सुपे, शासनाचे उप सचिव.